न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :— दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या —18/2024 दायर दिनांक 30.04.2024 GCMS CASE NO-2024/18

1. सहीराम पुत्र लिछमण जाति कुम्हार निवासी सूरतगढ़ (फौत) जरिये वारिस :—

1/1 बलराम पुत्र सहीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 33, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

—अपीलांट

बनाम

1. पिरथीराज पुत्र सहीराम (फौत) जरिये वारिसान :—

1/1. राजेन्द पुत्र पिरथीराज अकवाम कुम्हार निवासी वार्ड न. 33 सूरतगढ़

1/2. मदनलाल पुत्र पिरथीराज अकवाम कुम्हार निवासी वार्ड न. 33 सूरतगढ़

1/3. रामकुमार पुत्र पिरथीराज अकवाम कुम्हार निवासी वार्ड न. 33 सूरतगढ़

1/4. शीलवन्ती पुत्री पिरथीराज पत्नी राजेन्द्र कुमार निवासी कंगनपुर रोड, सिरसा तहसील व जिला सिरसा

2. लालचन्द पुत्र सहीराम (फौत)

3. संतरोदेवी पत्नी (फौत) जरिये वारिसान :—

3/1. संतोष पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी शेरेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

3/2. कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 33, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

3/3. बिमला पत्नी रणजीत पुत्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़

3/4. रतिराम पुत्र लालचन्द (फौत) जरिये वारिसान :—

3/4/1 मनोज कुमार पुत्र रतिराम अकवाम कुम्हार निवासी वार्ड न. 33 सूरतगढ़

3/4/2. देवेन्द्र पुत्र रतिराम अकवाम कुम्हार निवासी वार्ड न. 33 सूरतगढ़

4. गोमती पुत्री सहीराम पत्नी बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी खाल तहसील अनूपगढ़

5. ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 33, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

6. शान्तिदेवी पुत्री सहीराम पत्नी सीताराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 15, पीपल चौक, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

7. मोहनलाल पुत्र सहीराम (फौत) जरिये वारिसान :—

7/1. गीता पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हारं निवासी वार्ड नं. 33, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

7/2. मन्जू पुत्री मोहनलाल पत्नी रविन्द्र कुमार जाति कुम्हार निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

7/3. सरिता पुत्री मोहनलाल पत्नी संजय कुमार जाति कुम्हार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

7/4. प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 33, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

8. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधि भू—धारक

—रेस्पोण्डेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal

Date: 2026.05.14 16:54:57 IST

Reason: SelfAttested

उपस्थित :—

1. श्री भगवान दत्त शर्मा व श्री रामस्वरूप बारूपाल, अधिवक्तागण अपीलांट
2. श्री अजय कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता रेस्पो. सं. ... 3/4/1, 4, ... 7/3
3. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 8 की ओर से

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

—::निर्णय::— दिनांकः 25-3-26

अपीलांट द्वारा यह अपील, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 02.06.2006, जिसके द्वारा सहीराम पुत्र लिछमण का आरजीकाश्त आवंटित रकबा रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 257 में 2.530 है0 व खसरा नं. 267 में 6.325 है0, कुल 8.855 है0 राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा), 1955 की शर्तो व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वेस्ट लैण्ड हेतु बने नियमों के तहत खारिज किया गया है, के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा एवं रामस्वरूप बारूपाल हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या रेस्पो. सं. 1/1, 1/3, 1/4, 3/4/1, 4, 6, 7/2, 7/3 की ओर अधिवक्ता श्री अजय कुमार अरोड़ा उपस्थित आये। रेस्पो. सं. 1/2, 3/2, 3/3, 3/4/2, 5, 7/1, 7/4 के बावजूद पर्याप्त सूचना अनुपस्थिति रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। रेस्पोडेंट संख्या 8 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता को आरजी काश्त पर आवंटित था। आवंटी की मृत्यु उपरात जैर अपील रकबा पर वारिसान का कब्जा काश्त होने के कारण रकबा पर अपीलांट के हित निहित है तथा अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जावे। वकील रेस्पोडेंटगण वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/3, 1/4, 3/4/1, 4, 6, 7/2, 7/3 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी तरह की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। रेस्पोडेंट संख्या 8 पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि टीसी आवंटन एक साल हेतु किया जाता था जिसके बाद आवंटी के हित समाप्त हो पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त रकबा अपीलांट के पिता को टीसी आवंटन हुआ था जिसके मृत्यु उपरांत अपीलांट के हित निहित है। अतः अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश मूल आवंटी अर्थात अपीलांट के पिता के विरूद्ध पारित किया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ही अपीलांट के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व आवंटी के वारिसान अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बिना एवं विविधत सुनवाई किये बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 12.04.2024 को हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/3, 1/4, 3/4/1, 4, 6, 7/2, 7/3 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्डन करते हुए [illegible] में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील 18 वर्ष [illegible] की है, जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश [illegible] जैर अपील आदेश पारित करने से विधिवत नोटिस जारी किये [illegible] अपील पेश करने [illegible] देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज कि[illegible] जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

खारिज की जावे। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुने बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता को टीसी आवंटन हुआ था। उक्त रकबा पर अपीलांट के हित निहित है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है इसलिए हम प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर ना करते हुए गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अपीलांट के पिता सहीराम पुत्र लिछमण जाति कुम्हार साकिन सूरतगढ़ के नाम से रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 257 में 2.530 है0, खसरा न. 267 में 6.325 है0 कुल 8.855 है0 बारानी भूमि आरजी काश्त पर आवंटित थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के पिता के नाम का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर उक्त टी.सी. आवंटित रकबा खारिज फरमा दिया गया व कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। पटवारी हल्का ने उक्त रकबा पैराफेरी क्षेत्र के 2 किमी परिधि में आता है। जबकि उक्त रकबा पैरोफेरी क्षेत्र से 2 किमी से ज्यादा दूरी पर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान भी नही लिये गये। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी को जारी नोटिस में शर्तो के उल्लंघन का हवाला दिया है। परन्तु किन शर्तो का उल्लंघन किया है यह अंकित नहीं किया गया है। जैर अपील आदेश आवंटन वेस्ट लेण्ड आवंटन नियम 1996 में निरस्त किया है, जबकि जैर अपील रकबा वेस्टलेण्ड श्रेणी में नही आता है तथा ना ही उक्त नियमों के तहत आवंटन हुई है। उक्त आवंटन उपनिवेशन क्षेत्र में मानते हुए, उपनिवेशन क्षेत्र में आरजीकाश्त कृषि लीज कण्डीशन्स, 1955 के तहत किया गया है, ना कि वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम के अन्तर्गत। वेस्ट लैण्ड के आवंटन नियम अलग हैं जिसके लिए प्रपत्र दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 को जारी हुआ है। यह प्रपत्र वर्तमान मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि स्वयं राज्य सरकार द्वारा ही पैराफेरी क्षेत्र में आरजी काश्तकारों को जिला कलक्टर की स्वीकृति से तहसीलदार द्वारा खातेदारी देने के नियम जारी किये हुए हैं। अपीलांट अथवा उसके वारिसों द्वारा किसी भी आवंटन की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया। की। टीसी आवंटन निरस्त करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार सूरतगढ़ को ना होकर जिला कलक्टर को है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2012 पेज सं. 110, मियाद बिन्दु पर आर.आर.डी. 1976 पेज सं. 502, आर.आर.डी. 1991 पेज सं. 68 वेस्ट लैण्ड हेतु नोटिफिकेशन दिनांक 08.02.2006, आर.एल.डब्ल्यू. 2016(रेन्यू) पेज सं. 413, डी.एन.जे.(रेन्यू)2023 पेज सं. 916 मल्लूराम बनाम राजस्थान सरकार की ओर ध्यान दिलाया। जैर अपील आदेश दिनांक 02.06.2006 को जारी किया गया है जबकि आवंटी की मृत्यु दिनांक 20.04.1988 को ही हो चुकी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का जैरअपील आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो शुरू से ही शून्य है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2012 पेज सं. 110 की ओर ध्यान दिलाया। जैर अपील रकबा पर आवंटी के जीवनकाल में स्वयं आवंटी का तथा उसकी मृत्यु उपरांत अपीलांट का बतौर विधिक वारिस काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन निरस्ती हेतु दिये गये नोटिस की विधिवत तरीके से तामील करवाये बिना ही मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किये गये हैं। [illegible] में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 68 की ओर ध्यान दिलाया। अतः [illegible] तथ्यो के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/3, 1/4, 3/4/1, 4, 6, 7/2, 7/3 ने दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया।

रेस्पोडेंट संख्या 8 पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई हेतु जारी नोटिस को आवंटी के आबाद मकान पर नियमानुसार चस्पा किया जाकर तलवी संबंधी कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की गई है। आवंटी को उक्त रकबा टीसी पर आवंटन हुआ था। टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उक्त रकबा नगरपालिका की पेराफैरी में आने से रकबा के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2006 को पारित किया गया हैं। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ जारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार सहीराम की मृत्यु दिनांक 20.07.1988 हो चुकी थी। पैरोकार राज ने अवगत करवाया है कि जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई हेतु जारी नोटिस को दो गवाहों की मौजूदगी में आबाद बन्द मकान पर चस्पा किया जाकर विधिवत तामील करवाई गई। इस संबंध में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2006 के विरूद्ध 18 वर्ष पश्चात वर्ष 2024 में इस न्यायालय में हस्तगत अपील पेश की है। आवंटी सहीराम की दिनांक दिनांक 20.04.1988 मृत्यु उपरांत कार्यालय नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक 380/एनओसी/93 दिनांक 04.01.1993 अनुसार सहीराम के कुल 8 वारिसान यथा पत्नी पारी देवी, 5 पुत्र पिरथी राज, लालचन्द, बलराम, मोहनलाल, ओमप्रकाश तथा 2 पुत्रियां यथा गोमती देवी व शान्ति देवी थे। जिनमें से आवंटी सहीराम की पत्नी पारी देवी की मृत्यु दिनांक 07.01.2011 को हो गई जो नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। इसके अतिरिक्त आवंटी के पुत्र पिरथीराज की मृत्यु भी दिनांक 17.08.2019 को हो गई जो पत्रावली में उपलब्ध पिरथीराज के मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। पत्रावली में उपलब्ध सदस्य प्रमाण पत्र अनुसार पिरथीराज के कुल 4 वारिसान यथा पुत्र– राजेन्द्र, मदनलाल, रामकुमार तथा एक पुत्री शीलवंती है। सहीराम के वारिस लालचन्द की मृत्यु भी दिनांक 12.11.2019 को हो चुकी है, जो पत्रावली में उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। पत्रावली में उपलब्ध लालचन्द के सदस्य प्रमाण पत्र अनुसार संतरो (पत्नी), सन्तोष देवी–पत्नी, पुत्र– कृष्ण कुमार, रतिराम (मृतक) तथा पुष्पा पत्नी रतिराम (मृतक), मनोज पुत्र रतिराम, देवेन्द्र पुत्र रतिराम तथा विमला पुत्री लालचन्द है। अपीलांट द्वारा जैर अपील रकबा वारिसान के नाम दर्ज करवाने के संबंध में वर्ष 2006 तक (18 वर्ष तक) कार्यवाही नहीं की गई। अपीलांट द्वारा आवंटी सहीराम के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सदस्य प्रमाण पत्र की फॉटोप्रति पेश की गई है, जिसके आधार पर निश्चयात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा जाना संभव नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि आवंटी सहीराम के वर्ष 1998 में मृत्यु होने के तथ्यों की विधिवत जांच करते हुए अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नये सिरे से उचित आदेश पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner